



फालेलुड गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड: (३)

संख्या: (१)

मिति: २०७६।०३।२०

भाग-१

फालेलुड गाउँपालिका

आर्थिक ऐन २०७६

फालेलुङ गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन

प्रस्तावना : फालेलुङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने , छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनीक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम फालेलुङ गाउँ सभाले यो विधेयक बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन २०७६ रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गते बाट फालेलुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. भूमी कर (मालपोत) : गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपभोगका आधारमा **अनुसूची (१)** बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

३. धुरि कर : फालेलुङ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण घर धुरीहरुमा **अनुसूची (२)** बमोजिम धुरि कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

४. व्यवसाय कर : गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा मा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा **अनुसूची (३)** बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ ।

५. कवाडी तथा जिवजन्तु कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, बनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायीक कारोवार गरेवापत **अनुसूची (४)** बमोजिम कवाडी तथा जिवजन्तु कर लगाइ असुल उपर गरिनेछ ।

६. बहाल विटौरी कर : गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गा मा **अनुसूची (५)** बमोजिम बहाल विटौरी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

७. सेवा शुल्क , दस्तुर : गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, दर्ता , प्रशासनीक कार्य, मेलमिलाप तथा मध्यस्थता लगायतका सेवामा **अनुसूची (६)** बमोजिम सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । त्यसैगरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (प) तथा दफा ११ को उपदफा ४ (घ) बमोजिम **अनुसूची (८)** मा उल्लेख भएका प्राकृतिक श्रोत साधन आदिको उपयोगमा **अनुसूची (९)** बमोजिम प्रदेश आर्थिक ऐनको अधिनमा रही कर संकलन गरि ६० प्रतिशत गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाइ असुल उपर गरिनेछ ।

८. विज्ञापन कर : प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम प्रचार सामग्री राखे बापत **अनुसूची -७** बमोजिम कर लगाई असुल उपर गरिनेछ र प्रदेश आर्थिक ऐन बमोजिम ६० प्रतिशत गाउँपालिकामा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
९. कर छुट : यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन । कर छुट दिने र असुल उपर गर्नु पर्ने कर असुल उपर नगरी सेवा प्रवाह गर्ने, र आन्तरिक राजश्व हिनामिना गर्ने पदाधिकारीलाई सो कार्य प्रमाणित भएमा हिनामिना भएको रकम, असुल उपर नभएको रकमको पाँच गुणा जरिवाना लगाइनेछ । र सो रकम निजको तलव वा सेवा सुविधाबाट कट्टा गरिनेछ ।
१०. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि : कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।
११. खारेजी : मिति ०७४।०५।२७ गते गाउँसभाबाट पारित आर्थिक ऐन २०७५ खारेज गरिएको छ ।
१२. बाधा अडकाउ फुकाउ : यस ऐनमा नभएको कुनै शिर्षकमा कर लगाउन उपयुक्त भइ तत्काल गाउँसभाबाट निर्णय गर्न असहज हुने भए कार्यपालिकाले निर्णय गरि कर संकलन गर्नेछ, र सोको अनुमोदन गाउँसभाले बैठक बसेको समयमा गर्नुपर्नेछ ।

अनुसूची-१
भुमी कर (मालपोत)

| क्र.सं. | जग्गाको प्रकृति | निर्धारित कर |
|---------|-----------------|------------------|
| १ | पाखा बारी | रु ३ प्रति रोपनी |
| २ | सिम | रु ३ प्रति रोपनी |
| ३ | दोयम | रु ३ प्रति रोपनी |
| ४ | अव्वल | रु ४ प्रति रोपनी |
| ५ | अलैंची खेति | रु ५ प्रति रोपनी |
| ६ | चिया खेति | रु ५ प्रति रोपनी |

अनुसूची -२
धुरि कर

| क्र.सं. | घरको प्रकृति | निर्धारित कर |
|---------|------------------------|--------------|
| १ | आर.सि.सि. घर प्रति तला | रु २०० |
| २ | जस्ताले छाएको पक्कि | रु १५० |
| ३ | अन्य कच्चि | रु ५० |

अनुसूची-३
व्यवसाय कर

| क्र.सं. | विवरण | निर्धारित कर |
|---------|------------|--|
| १ | व्यवसाय कर | व्यवसाय दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत वार्षिक रुपमा नविकरण शुल्क लिइनेछ । |

अनुसूची-४

कवाडी तथा जिवजन्तु कर

| क्र.सं. | विवरण | निर्धारित कर |
|---------|--------------------|----------------------|
| १ | कवाडी तथा जिवजन्तु | प्रति के.जि. ५० पैसा |

अनुसूची-५
बहाल विटौरी कर

| क्र.सं. | विवरण | निर्धारित कर |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| १ | बहाल विटौरी कर | प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण गर्ने |

अनुसूची-६
सेवाशुल्क, दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण | निर्धारित शुल्क |
|---------|---|---|
| १ | व्यवसाय दर्ता शुल्क | |
| | मदिरा पसल , चुरोट विडी तथा सुर्तिजन्य | ४००० |
| | औषधि पसल | १५०० |
| | हल्का पेय पदार्थ | ५०० |
| | सुनचाँदी पसल | १५०० |
| | माछा मासु फलफूल तरकारी तथा एग्रीभेट पसल | १००० |
| | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल | ५०० |
| | कस्मेटिक तथा उपहार पसल | ५०० |
| | सिलाई कटाइ पसल | २००० |
| | मोटर पार्टस | १००० |
| | कपडा , जुत्ता, चप्पल , व्याग आदिको फेन्सी पसल | २५०० |
| | इलेक्ट्रोनिक्स पसल | १००० |
| | पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि केन्द्र | ५०० |
| | हार्डवेयर मेशिनरी | २००० |
| | किराना पसल | १५०० |
| | भाँडा पसल | १५०० |
| | व्यटि पार्लर | १५०० |
| | चिया नास्ता पसल | ५०० |
| | उत्पादन मुलक उद्योग सवै प्रकारका | २००० |
| | होटल व्यवसाय | १५०० |
| | कुटानी पिसानी उद्योग | १००० |
| | एक भन्दा बढी प्रकारका सामग्री बेचविखन गर्ने पसल | ३५०० |
| | दुग्ध उत्पादन विक्रि केन्द्र | १००० |
| | सैलुन | ५०० |
| २ | पञ्जिकरण दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निःशुल्क अन्यथा २०० |

| | | |
|----|--|--|
| ३ | सामाजिक संघ संस्था दर्ता | १०००। |
| ४ | गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता | ३००० |
| ५ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता | ५००० |
| ६ | उजुरी दर्ता तथा मुद्धा दस्तुर | ५०० |
| ७ | चौरी गोठ सञ्चालन अनुमति दस्तुर | ३००० |
| ८ | गाइ तथा भैंसी गोठ सञ्चालन दस्तुर | १५०० |
| ९ | बाखा तथा भेडी गोठ सञ्चालन दस्तुर | १००० |
| १० | घर पालुवा गाइ भैंस तथा गोरु सिका निकासी दस्तुर | प्रति गोटा रु ५० |
| ११ | घर पालुवा बाखा तथा भेडी सिमा निकासी दस्तुर | प्रति गोटा रु १० |
| १२ | घ बर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र दस्तुर | रु २००००। |
| १३ | घ वर्ग निर्माण व्यवसायी नविकरण दस्तुर | ५०००। |
| १४ | घ बर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | २००० |
| १५ | १०० सि.सि. सम्मको ठुला मेसिनरी तथा उपकरण सञ्चालन दस्तुर | ५०००। |
| १६ | १०१ देखि २०० सि.सि. सम्मको ठुला मेसिनरी तथा उपकरण सञ्चालन दस्तुर | ७५००। |
| १७ | २०१ सि.सि. भन्दा माथिको ठुला मेसिनरी तथा उपकरण सञ्चालन दस्तुर | १००००। |
| १८ | जन्म / मृत्यु प्रमाणित दस्तुर | २०० |
| १९ | जीवित सँग नाता प्रमाणित | २०० |
| २० | मृतक सँग नाता प्रमाणित | २०० |
| २१ | विवाहित तथा अविवाहित प्रमाणित | २०० |
| २२ | एकासगोल परिवार प्रमाणित | २०० |
| २३ | कागज वा मन्जुरिनामा प्रमाणित | २०० |
| २४ | संरक्षण प्रमाणित गर्ने | २०० |
| २५ | हकवाला र हकदार प्रमाणित | २०० |
| २६ | जग्गा / सम्पत्ति मुल्याङ्कन सिफारित तथा प्रमाणित गर्ने | ५ लाख भन्दा कम भए रु. ५०० अन्यथा रु. १०००। |
| २७ | विपन्नता प्रमाणित | निः शुल्क |
| २८ | सम्पन्नता प्रमाणित | रु १००० |
| २९ | आर.सि.सि घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणित | रु १५०० |

| | | |
|----|--|------------------------|
| ३० | जस्ताले छाएको घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणित | रु ५०० |
| ३१ | अन्य कच्च घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणित | रु २०० |
| ३२ | दलित अल्पसङ्ख्यक तथा जनजाति प्रमाणित | रु २०० |
| ३३ | चारकिल्ला प्रमाणित | रु ३०० |
| ३४ | वार्षिक आय प्रमाणित | जम्मा आयको ०.५ प्रतिशत |
| ३५ | ज्येष्ठ नागरिक/एकल महिला प्रमाणित | निःशुल्क |
| ३६ | बसाँइ सराई / सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित | रु ५०० |
| ३७ | उल्लिखित भन्दाका अन्य प्रमाणित सम्बन्धि कार्य | रु ५०० |
| ३८ | वंशज नागरिकता सिफारिस | रु २०० |
| ३९ | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | रु ७०० |
| ४० | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | रु ५०० |
| ४१ | नागरिकता संशोधन सिफारिस | रु २०० |
| ४२ | बहालकरको लेखाजोखा सिफारिस | रु २०० |
| ४३ | व्यापार व्यवसाय बन्द भएको /सञ्चालन नभएको सिफारिस | रु २०० |
| ४४ | मिलापत्र कागज गराउने निवेदन दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने | रु २०० |
| ४५ | सःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | रु ५०० |
| ४६ | निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | निःशुल्क |
| ४७ | पुर्जामा जग्गा कायम गर्न सिफारिस | रु ५०० |
| ४८ | नाम, थर जन्म मिति संशोधनका लागि सिफारिस | रु २०० |
| ४९ | दुवै नाम वा थर गरेको व्यक्ति एकै हो भनि सिफारिस | रु २०० |
| ५० | जग्गा धनि पुर्जा हराएको सिफारिस | रु २०० |
| ५१ | कित्ताकाट गर्न सिफारिस | रु २०० |
| ५२ | व्यक्तिगत संरक्षण सिफारिस गर्ने | रु २०० |
| ५३ | संस्थागत संरक्षण सिफारिस गर्ने | रु ५०० |
| ५४ | जग्गा नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने (महिलाको नाममा भए २५ प्रतिशत छुट) | रु १००० |
| ५५ | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस | रु २०० |
| ५६ | सर्जमिन सिफारिस गर्ने | रु २०० |

| | | |
|----|--|----------|
| ५७ | उद्योग ठाँउसारी गर्ने सिफारिस | रु १००० |
| ५८ | जीवित रहेको सिफारिस गर्ने | रु ५०० |
| ५९ | संस्थागत विद्यालय कक्षा थप गर्ने सिफारिस गर्ने | २५०० |
| ६० | सामुदायिक विद्यालयको कक्षा थप गर्ने सिफारिस गर्ने | रु १००० |
| ६१ | संस्थागत विद्यालय खोल्ने सिफारिस | रु १०००० |
| ६२ | सामुदायिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस | रु १००० |
| ६३ | आधारभुत तह अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा सिफारिस | रु १००० |
| ६४ | माध्यमिक तह अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा सिफारिस | १५०० |
| ६५ | आधारभुत करार शिक्षक म्याद थप सिफारिस | ५०० |
| ६६ | माध्यमिक तह करार शिक्षक म्याद गप सिफारिस | १००० |
| ६७ | पालन पोषणका लागि सिफारिस गर्ने | निःशुल्क |
| ६८ | धारा तथा विद्युत जडानका लागि सिफारिस (महिलाको नाममा २५ प्रतिशत छुट) | २०० |
| ६९ | सामुदायिक विद्यालय नाम/ठाउँसारी सिफारिस | रु १००० |
| ७० | संस्थागत विद्यालय नाम/ठाउँसारी सिफारिस | रु १५०० |
| ७१ | नेपालमा सेवारत व्यक्तिको पेन्सन पट्टा सम्बन्धि सिफारिस | ५०० |
| ७२ | भारतमा सेवारत व्यक्तिको पेन्सन पट्टा सम्बन्धि सिफारिस | रु १००० |
| ७३ | नेपाल र भारत बाहेकका मुलुकमा कार्यरत व्यक्तिको पेन्सन पट्टा सम्बन्धि सिफारिस | रु १५०० |
| ७४ | दलित अल्पसङ्ख्यक तथा जनजाति सिफारिस | रु २०० |
| ७५ | घर कायम सिफारिस | रु २०० |
| ७६ | विपन्न असहाय छात्रवृत्ति सिफारिस | निःशुल्क |
| ७७ | छात्रवृत्ति सिफारिस | रु २०० |
| ७८ | अपाङ्गता भएको सिफारिस | निःशुल्क |
| ७९ | अस्थायी/स्थायी बसोबार सिफारिस | रु २०० |
| ८० | कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस | निःशुल्क |
| ८१ | नाबालक परिचय पत्र सिफारिस | रु २०० |
| ८२ | संस्था दर्ता सिफारिस | रु १००० |
| ८३ | गैर सरकारी संस्था दर्ता सिफारिस | रु ३००० |

| | | |
|-----|---|--|
| ८४ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता सिफारिस | रु ५००० |
| ८५ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | रु ५०० |
| ८६ | कोठा खोल्ने कार्यमा रोहवर बस्ने सिफारिस | रु २०० |
| ८७ | जग्गा धनि पुर्जा हराएको सिफारिस | रु २०० |
| ८८ | जग्गा धितो मुल्याङ्कन सिफारिस | मूल्याङ्कन रकमको ०.५ प्रतिशत |
| ८९ | अपुताली सिफारिस | रु १५०० |
| ९० | आर.सि.सि घर नक्सा पास दस्तुर | रु २००० |
| ९१ | जस्ताले छाएको पक्क घर नक्सा पास दस्तुर | रु १००० |
| ९२ | अन्य कच्चि घर नक्सा पास दस्तुर | रु ५०० |
| ९३ | निजी रुख कटान सिफारिस (सिफारिस दस्तुर बाहेक प्रति रुख रु ५०) | रु ५०० |
| ९४ | कृषि समुह दर्ता सिफारिस | रु १००० |
| ९५ | पशु समुह दर्ता सिफारिस | रु १००० |
| ९६ | सहकारी दर्ता सिफारिस | रु २०००। |
| ९७ | माथि उल्लिखित बाहेकका अन्य सिफारिस का लागि | रु ५००। |
| ९८ | नयाँ घर कायम तथा छुटानामा प्रमाणित | रु २०० |
| ९९ | कृषि तथा पशु समुह नविकरण सिफारिस | रु ५००। |
| १०० | सहकारी नविकरण सिफारिस | रु १०००। |
| १०१ | संस्था नविकरण सिफारिस | रु दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत |
| १०२ | बाल क्लव सूचीकृत सिफारिस | निःशुल्क |
| १०३ | संचालन अनुमति दिएका माथि उल्लिखित बाहेकका अन्य संस्था तथा समुह नविकरण | दर्ता तथा संचालन अनुमति शुल्कको ५० प्रतिशत |
| १०४ | रुख कटान मेसिन सञ्चालन अनुमति दस्तुर | रु १०००। |
| १०५ | गाउँपालिका हलभाडा | प्रति दिन रु. २०००। |

अनुसूची-७
विज्ञापन कर

| क्र.सं. | विवरण | निर्धारित कर |
|---------|------------------------------------|--------------|
| १ | पर्खाल वा भित्तामा पोतिएको | रु १०० |
| २ | सार्वजनिक स्थलमा साइनबोर्ड राखिएको | रु १०० |
| ३ | पोल वा व्यानर राखिएको | रु १०० |
| ४ | सवारी साधनमा विज्ञापन गरिए | रु १०० |

अनुसूची-८
ऐनको दफा (८) संग सम्बन्धित
प्राकृतिक श्रोत साधन

| क्र.सं. | विवरण |
|---------|---------------------------------|
| १ | ढुङ्गा |
| २ | गिटि, रोडा , ग्राभेल, चुनढुङ्गा |
| ३ | बालुवा |
| ४ | माटो (भरौटे र बलौटे) |

अनुसूची-९
प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण | इकाइ | दर |
|---------|--|-----------------|---------------------|
| १ | स्विकृत क्षेत्र भित्रको ढुङ्गा विक्रि तथा उपयोग शुल्क | प्रति क्यु. फिट | प्रदेश कानून अनुसार |
| २ | स्विकृत क्षेत्र भित्रको गिटि, रोडा, ग्राभेल तथा चुनढुङ्गा उपयोग तथा विक्रि शुल्क | प्रति क्यु. फिट | प्रदेश कानून अनुसार |
| ३ | स्विकृत क्षेत्र भित्रको बालुवा विक्रि तथा उपयोग शुल्क | प्रति क्यु. फिट | प्रदेश कानून अनुसार |
| ४ | स्विकृत क्षेत्र भित्रको माटो विक्रि तथा उपयोग शुल्क | प्रति क्यु. फिट | प्रदेश कानून अनुसार |

आज्ञाले

मौसम दुङ्गेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत